

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
आदेश क्रमांक स्था-1-2004/ 857-81
दिनांक, सिरसा 5/05/2004

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के उपनियम 34(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वपल्ली पब्लिक स्कूल, ऐलनाबाद को उक्त नियम के उपनियम 30(1) के तहत निम्नलिखित शर्तों पर सत्र 2004-2005 से I-VIII कक्षा तक मान्यता प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के सभी नियमों का पालन करेगा।
2. इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी हिदायतों/नियमों की पालना करनी होगी।
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के उपनियम 39 के अन्तर्गत 10 वर्ष उपरान्त पुनर्विलोकित किया जायेगा।
4. विद्यालय इस मान्यता की अनुमति के आधार पर हरियाणा सरकार से किसी वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगा।
5. अध्यापकों को वेतन क्रास चैक द्वारा दिया जायेगा।
6. नियुक्ति में आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
सिरसा

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक सम

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, ऐलनाबाद।
5. मुख्य अध्यापक सर्वपल्ली पब्लिक स्कूल, ऐलनाबाद।
6. जी-1 एवं आंकड़ा सहायक (कार्यालय में)

जिला शिक्षा अधिकारी,
सिरसा

ताराचन्द

President

Holy Goshan Education Society
Ellenabad (Sirsa)

Principal,
Sarvpalli Public School
(Affil. to CBSE New Delhi)
Sirsa, Road, Ellenabad